अंचल अधिकारी का कार्यालय, चन्द्रपुरा (बोकारो)

अतिक्रमण वाद अभिलेख संख्या 02/2016–17

तिथि	आदेश फलक	मंतव्य
	–:आदेशः–	

02.03.2017

यह अतिक्रमण वाद मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र, झारखण्ड के Grievance no-2016-30746, Registration no- IN/BOK-2686 दिनांक– 09.04.2016 के शिकायत आवेदन पर अधोहस्ताक्षरी के द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण उपरान्त आरंभ की गई है।

अधोहस्ताक्षरी ने स्थल निरीक्षण उपरान्त पाया कि श्री बालदेव महतो, वल्द– थानु महतो, उर्फ– जहरी महतो, साकिन– तारानारी, पो0– तारानारी, थाना– चन्द्रपुरा, जिला– बोकारो के द्वारा झोपडी नुमा घर बनाकर सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया गया है।

राजस्व कर्मचारी, हल्का सं0– 03, श्री असफाक अहमद ने अंचल निरीक्षक, चन्द्रपुरा के माध्यम से अतिक्रमण प्रतिवेदन दिया कि चन्द्रपुरा अंचल अन्तर्गत, मौजा–तारानारी, थाना सं0–103, खाता सं0–01, प्लॉट सं0–1255, रकवा–20.65 एकड़ में से 4.81 एकड़ भूमि पर एलबेस्टर शीट का घर बनाकर तथा मिट्टी का बुनियाद खोदकर श्री बालदेव महतो के द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

अंचल अमीन ने प्रतिवेदन दिया है कि 0.01 एकड़ भूमि पर एलबेस्टर का घर बनाकर तथा शेष भूमि पर मिट्टी बुनियाद कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है।

राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन, चन्द्रपुरा के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अतिक्रमणकारी श्री बालदेव महतो, वल्द–थानु महतो उर्फ जहरी महतो, साकिन–तारानारी, पो0– तारानारी, थाना–चन्द्रपुरा, जिला– बोकारो को नोटिस निर्गत कर पक्ष रखने को कहा गया।

दिनांक–20.09.2016, 27.10.2016 तथा 18.11.2016 को वादी ने उपस्थित होकर कागजात पेश करने हेतु समय की मांग की। लेकिन कई मौका देने के बाद भी वादी ने कोई कागजात या पक्ष पेश नहीं किया।

पुनः दिनांक–16.12.2016, 31.12.2016, 16.01.2017, 16.02.2017 एवं 23.02.2017 को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया लेकिन वादी अनुपस्थित रहे।

कई बार नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमणकारी के द्वारा कोई पक्ष नहीं रखने से उपरोक्त वर्णित भूमि मौजा–तारानारी, थाना सं0–103, खाता सं0–01, प्लॉट सं0–1255, रकबा–0.01 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण के आरोप की पुष्टि होती है।

अतः मौजा–तारानारी, थाना सं0–103, खाता सं0–01, प्लॉट सं0–1255 रकबा--0.01 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु अतिक्रमणकारी श्री बालदेव महतो, वल्द– थानु महतो, उर्फ– जहरी महतो, को नोटिस निर्गत करें तथा दिनांक–17.03.2017 तक अतिक्रमण हटाने का निर्देश दें। निर्धारित समय तक यदि अतिक्रमणकारी ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो बलपूर्वक उनके संरचना को हटा दिया जाएगा तथा हटाने के क्रम में जो भी खर्च आएगा उसे अतिक्रमणकारी से वसूला जाएगा।

Digitally signed by Naresh Kumar Verma
Date: 2024.12.16 13:03:25 +05:30
Location: 192.168.1.33

02.03.17

अंचल अधिकारी
चन्द्रपुरा।